भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2629

उत्तर देने की तारीख : 19.12.2023

ब्रेल लिपि में शिक्षा देना

2629. श्री विजय कुमार:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों को ब्रेल लिपि में शिक्षा प्रदान करने के लिए नए विद्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कर लिया जाएगा; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क) से (ग): जी, नहीं । तथापि, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 31 (1) छ: से अठारह वर्ष की आयु के बीच के बेंचमार्क दिव्यांग बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करती है और उन्हें पड़ोस के विद्यालय या अपनी पसंद के विशेष विद्यालय में नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार होगा।

राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून द्वारा दृष्टिबाधित बच्चों को प्री-स्कूल से कक्षा 12वीं तक स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए दृष्टिबाधितों के लिए एक आवासीय मॉडल स्कूल (एमएसवीएच) चलाया जा रहा है, जिसमें ब्रेल लिपि में शिक्षा प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईईपीएमडी), चेन्नई मॉडल स्कूल चला रहा है जिसमें मूक बधिर दृष्टिबाधित वर्ग को शिक्षण और शिक्षा प्रदान करने के लिए ब्रेल लिपि प्रदान करता है।

*****